

वाद संख्या... 128 / 2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
---------------------------	----------------------

13.08.2018 यह वाद पत्र वादी की ओर से एडवोकेट श्री महेश शर्मा नयावास ने प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 20.10.2018 को पेश हो।

*[Signature]*  
 सप्लेन्ट अधिकारी  
 जिला न्यायालय

22/11/18

आवली पत्र...  
 युगाद कार्य अंश...  
 अवरुध हेतु...  
 दिनांक 29/11/18 को पेश हो।

29/11/18

आवली पत्र...  
 युगाद कार्य अंश...  
 अवरुध हेतु...  
 दिनांक 29/11/18 को पेश हो।

26/11/18

आवली पत्र...  
 युगाद कार्य अंश...  
 अवरुध हेतु...  
 दिनांक 27/11/18 को पेश हो।

27/11/18

आवली पत्र...  
 युगाद कार्य अंश...  
 अवरुध हेतु...  
 दिनांक 26/11/18 को पेश हो।

27/11/18

वादी द्वारा विद्वा का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई वादी वही स्पष्ट उपस्थित। जिसकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने की प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संकेत किया कि वादी प्रतिवादी के साथ वहाँ राजीमाना है युगाद

*[Signature]*  
 सप्लेन्ट अधिकारी

फर्द अहकाम

घडी बनाम लालू कर्क

प्रकरण सं०.....128/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>घडी के अधिकारों को रिकवरी करते हुए वाद को विद्रा कर खारिज किया जाते है व निदेश किया है</p> <p>एक प्रस्तुत प्रमाण पत्र व पत्रावली का केवलेशन करने पर प्रस्तुत प्रमाण पत्र को 23 दिनांक 15 फरवरी 2018 को स्वीकार किया जाकर वाद को विद्रा करने की स्वीकृति उद्दान की जाती है तथा वाद को खारिज किया जाते है</p> <p>पत्रावली के माध्यम से वाद को खारिज कर दिया है</p> <p>निदेश सुनाया गया</p> <p>(विश्वासिनी नैन उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़)</p>

अन्तर्गत श्रीमानजी प्रार्थना 1. यह वि संयोजित 2. यह वि वाद न बंटवा तहसील हेतु वाद विद्रा 3. यह वि विद्रा विद्रा

